

23/05/24 पत्रावली पेश हुई। वकील सार्थी उप. असादी
 रंग 1 व 2 की ओर से वकील की अनुमान तयस करार
 मूल वाद में अकालतनामा पेश किया गया एवं अवकाश
 हेतु समय पाया गया। सार्थी 4.3 की डाक विभाग
 की सामिल शुदा साफि रसीद प्राप्त परन्तु असादी
 रंग 3 की ओर से कोई उप. - छि। सार्थी 4.5 व 5
 के सामिल शुदा नोरिद प्राप्त परन्तु उनके हारा
 अवकाश हेतु समय पाया गया।

आज 20 व 21 व 22 व 23 असादी पत्रावली

दि 14/05/24 को पेश है

14/05/24 C/No. 37/2024
 पत्रावली पेश हुई। वकील सार्थी एवं असादी
 सार्थी एवं उप. उनके हारा मूल वाद विद्
 किया जा चुका है। असादी सांप्रत न-तर्जि धारा
 212 राज. काश. अधि. 1955 का कोई विधि
 दोषिय नहीं होने के कारण सार्थी के सार्थी
 पत्र को इसी तरह पर धारिज किया जाता
 है। पत्रावली केवल सुमार हेतु पत्रावली
 नम्बर के तम है।

उपरवण्ड अधिकारी
 किशनगढ (अजमेर)

मीनू
 14/05/24

Lawyer
 14/05/24